

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ़  
पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)  
प्रकरण संख्या - 930/2021

अनवान : -

1. हरिकिशन पुत्र कानाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी रामगढ़ तहसील नोहर।

- वादी

बनाम

1. प्रेम कुमार पुत्र बनवारीलाल जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी रामगढ़ तहसील नोहर
2. राजकुमार पुत्र भादरराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी रामगढ़ तहसील नोहर
3. लिलुराम पुत्र भादरराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी रामगढ़ तहसील नोहर
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत खाता विभाजन अन्तर्गत धारा

53 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :- श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

निर्णय

दिनांक: 15/01/26

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के अन्तर्गत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा चक 11 बारानी तहसील नोहर के खाता सं. 546/516 के प.न. 376/446 (22) के किला नं. 6/1 की 0.2020 हैक्टर, 7/1 की 0.2020 हैक्टर 8/1 की 0.2020 हैक्टर, 9/1 की 0.2020 हैक्टर, 10/1 की 0.2020 हैक्टर, 11 ता 25 प्रत्येक 0.2530 हैक्टर, प.न. 376/447 मु. न. 31 के किला नं. 1 की 0.2530 हैक्टर, 2 की 0.2530 हैक्टर, प.न. 377/446 मु.न. 21 के किला नं. 20-21 की 0.5060 हैक्टर कुल 24 किता की 5.8170 हैक्टर भूमि स्थित है जिसके वादी व प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3 मुश्तरका खातेदार कास्तकार हैं।

रोही मौजा 11 बारानी तहसील नोहर के खाता सं. 546/516 की कुल 5.8170 हैक्टर भूमि में वादी अकेला 2326/5817 हिस्सा, एवं प्रतिवादी सं. 1 अकेला 1940/5817 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 517/3878 हिस्सा एवं प्रतिवादी सं. 3 अकेला 517/3878 हिस्सा के खातेदार कास्तकार हैं। उपरोक्त अनुसार ही जमाबन्दी में वादी व प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3 के हिस्से दर्ज हैं। दग्रस्त भूमि में वादी व प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3 मुश्तरका खाते की भूमि है तथा वादी की वादग्रस्त भूमि खरीद शुद्धा भूमि है वादी ने अपने हक व हिस्से की भूमि को समतल एवं उपजाऊ बना रखा है। तथा मुताबिक वादग्रस्त भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3 के निम्न प्रकार से कास्त में करते आ रहे हैं। जो कि निम्न प्रकार से हैं- वादी के हरिसिंह के पास रोही मौजा चक 11 बारानी तहसील नोहर के खाता सं. 546/516 के प.न. 376/446 (22) के किला नं. 7/1 की 0.101 हैक्टर 6/1 की 0.2020 हैक्टर, किला नं. 14 ता 17 की 1.0120 हैक्टर, 24-25 की 0.5060 हैक्टर, प.न. 377/446 मु.न. 21 के किला नं. 20-21 के 0.5060 हैक्टर कुल 2.327 हैक्टर भूमि का वादी के पास रहेगी प्रतिवादी सं. 1 के पास रोही मौजा चक 11 बारानी तहसील नोहर के खाता सं. 546/516 के प.न. 376/446 (22) के किला नं. 8/3 की 0.017 हैक्टर 9/1 की 0.2020 हैक्टर भूमि किला नं. 10/1 की 0.2020 हैक्टर, 11-12 की 0.5060 हैक्टर किला नं. 19 ता 22 की 1.0120 हैक्टर कुल 1.939 हैक्टर भूमि रहेगी। प्रतिवादीगण सं. 2 ता 3 के पास रोही मौजा चक 11 बारानी तहसील नोहर के खाता सं. 546/516 के प.न. 376/446 (22) 7/3 की 0.101 हैक्टर, 8/1 की 0.185 हैक्टर प.न. 13-18-23 की 0.7590 हैक्टर प.न. 376/447 मु.न. 31 के किला नं. 1-2 की 0.5060 हैक्टर कुल 1.551 हैक्टर भूमि के ब.हि.ब. के खातेदार कास्तकार रहेंगे। इसी अनुसार वादी न्यायालय से घोषणा करवा कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई मर्तबा कहा की विवादित भूमि का कौन-कौन-सा हक हिस्सा व कब्जा कास्त के खाता एवं लगान तकसीम करवा ले तो कई दिन तक अकल आजकल करते रहें आखिर इन्कार हो गये इसलिए यह दावा पेश किया गया है।

Lahul  
उपखण्ड अधिकारी  
नोहर

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण को सम्यक नोटिस तामिल होने के उपरान्त भी न्यायालय में उपस्थित नहीं अतः इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादी ने वाद के समर्थन में नवीनतम जमाबंदी पेश की जो की शामिल मिसल की गई। वाद वादी प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार नोहर से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त किया गया।

विभाजन प्रस्ताव पर बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा 11 बारानी तहसील नोहर के खाता स० 546/616 की कु 5.8170 हैक्ट भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है—

1. प्रेमकुमार पुत्र बनवारी लाल कौम कुम्हार (प्रजापति) सा. रामगढ खातेदार हाल चहुवाली त. टिब्बी - 376/446 (22) के किला न० 8/1 की .003 बा, 9/1 .202 बा, 10/1 की .202 बा, 11-12 .506 बा, 13/1 की .005 बा, 18/1 की .005 बा, 19 ता 22 की 1.012 बा, 23/1 की .005 बा कुल कित्ता 12 = 1.940 बारानी
2. राजकुमार पुत्र भादरराम 1/2 हिस्से लीलूराम पुत्र भादरराम 1/2 हिस्सा कौम कुम्हार (प्रजापति) सा. रामगढ खातेदार - 376/446 (22) के किला न० 8/2 की .199 बा, 7/1 की .021 बा, 13/2 की .248 बा, 14/1 की .027 बा, 17/1 की .027 बा, 18/2 की .248 बा, 23/2 की .248 बा, 24/1 की .027 बा, 376/447 (31) के किला न० 1-2 की .506 बा कुल कित्ता 10 = 1.551
3. हरिकिशन पुत्र कानाराम कौम कुम्हार (प्रजापति) सा. रामगढ खातेदार - 376/446 (22) के किला न० 6/1 की .202 बा, 7/2 की .118 बा, 14/2 की .226 बा, 15-16 की .506 बा, 17/2 की .226 बा, 24/2 की .226 बा, 25 की .253 बा, 377/446(21) के किला न० 20-21 की .506 बा कुल कित्ता 10 = 2.326

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि की किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढ़ा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना-अपना वहन करे। अन्तिम पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक .....15/01/26..... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

*Rahul.*  
(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
एवं सहायक कलक्टर  
नोहर

## अंतिम पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ  
पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)  
प्रकरण संख्या - 930/2021

अनवान : -

1. हरिकिशन पुत्र कानाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी रामगढ तहसील नोहर।

- वादी

बनाम

1. प्रेम कुमार पुत्र बनवारीलाल जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी रामगढ तहसील नोहर
2. राजकुमार पुत्र भादरराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी रामगढ तहसील नोहर
3. लिलुराम पुत्र भादरराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी रामगढ तहसील नोहर
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 930 सन 2021 निर्णय दिनांक 15/01/26

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णायार्थ प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार साबित होने के कारण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा 11 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 546/616 की कु 5.8170 हैक्ट भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है-

1. प्रेमकुमार पुत्र बनवारी लाल कौम कुम्हार (प्रजापति) सा. रामगढ खातेदार हाल चहुवाली त. टिब्बी - 376/446 (22) के किला न0 8/1 की .003 बा, 9/1 .202 बा, 10/1 की .202 बा, 11-12 .506 बा, 13/1 की .005 बा, 18/1 की .005 बा, 19 ता 22 की 1.012 बा, 23/1 की .005 बा कुल कित्ता 12 = 1.940 बारानी
2. राजकुमार पुत्र भादरराम 1/2 हिस्से लीलूराम पुत्र भादरराम 1/2 हिस्सा कौम कुम्हार (प्रजापति) सा. रामगढ खातेदार - 376/446 (22) के किला न0 8/2 की .199 बा, 7/1 की .021 बा, 13/2 की .248 बा, 14/1 की .027 बा, 17/1 की .027 बा, 18/2 की .248 बा, 23/2 की .248 बा, 24/1 की .027 बा, 376/447 (31) के किला न0 1-2 की .506 बा कुल कित्ता 10 = 1.551
3. हरिकिशन पुत्र कानाराम कौम कुम्हार (प्रजापति) सा. रामगढ खातेदार - 376/446 (22) के किला न0 6/1 की .202 बा, 7/2 की .118 बा, 14/2 की .226 बा, 15-16 की .506 बा, 17/2 की .226 बा, 24/2 की .226 बा, 25 की .253 बा, 377/446(21) के किला न0 20-21 की .506 बा कुल कित्ता 10 = 2.326

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि की किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना-अपना वहन करे।

यह अंतिम डिक्री आज दिनांक .....15/01/26..... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Rahul.

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
एवं सहायक कलक्टर नोहर